न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 261 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/280)
पंजीयन दिनांक– 07.09.2021
निर्णय दिनांक– 20.10.2021

1. श्री माधु पिता प्यारा गूंवार (बंजारा), निवासी मेघनिवास हाल मुकाम ग्राम ताल, तहसील सिंगोली, निमच (म. प्र.)
2. श्री गंगाराम उर्फ गोमा पिता प्यारा गूंवार (बंजारा), निवासी मेघनिवास हाल मुकाम ग्राम ताल, तहसील सिंगोली, निमच (म. प्र.)
3. श्री फोरूलाल उर्फ गोपाल पिता प्यारा गूंवार (बंजारा), निवासी मेघनिवास हाल मुकाम ग्राम ताल, तहसील सिंगोली, निमच (म. प्र.)
4. श्री पप्पुलाल उर्फ बाबुलाल पिता प्यारा गूंवार (बंजारा), निवासी मेघनिवास हाल मुकाम ग्राम ताल, तहसील सिंगोली, निमच (म. प्र.)
5. श्रीमती कमली बाई पुत्री प्यारा गूंवार (बंजारा) पत्नि सोराम निवासी मेघनिवास हाल मुकाम ग्राम ताल, तहसील सिंगोली, निमच (म. प्र.)
6. श्रीमती फोरी बाई पुत्री प्यारा गूंवार (बंजारा) पत्नि उदा बंजारा निवासी मेघनिवास हाल मुकाम गवरीयों का झोपडा, सदलपुरा सामरिया खुर्द, चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री नरेश जणवा – अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री मुरलीधर पालीवाल – अधिवक्ता रेस्पोडेंट
   राजकीय अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्ध अति. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के

प्रकरण संख्या 76 / 1998 निर्णय दिनांक 29.09.1999

निर्णय

दिनांक 20.10.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अति. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 76/1998 निर्णय दिनांक 29.09.1999 के विरूद्ध दिनांक 03.09.2021 को प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मेघनिवास, तहसील बेगूं की आराजी नम्बर 23/1 में से रकबा 1.62 हैक्टेयर भूमि श्री प्यारा पिता देवा गूंवार, निवासी मेघनिवास को राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के अंतर्गत गैर खातेदारी हक से उपखण्ड अधिकारी, बेगूं द्वारा आवंटित की गई। उक्त आवंटन को निरस्त करने हेतु तहसीलदार, बेगूं द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनसथ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 76/1998 निर्णय दिनांक 29.09.1999 से तहसीलदार, बेगूं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 29.09.1999 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– ***"हमने मामले पर गोर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया संबंधित कानून की स्थिति देखी जाकर मनन किया गया भूमिधारी तहसीलदार, बेगूं के प्रार्थना पत्र मे यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि आवंटी का आवंटित आराजी पर कब्जा नहीं है जो यह स्वयंमेव सिद्ध करता है कि आवंटन के पश्चात नियमानुसार आवंटन की काश्त संबंधी शर्तो की पालना आवंटी द्वारा नही किया गया है। भूमिधारी तहसीलदार ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी व्यक्त किया है कि आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की पालन नही की गई है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन की काश्त संबंधी शर्तो की पालना नही की गई है एवं आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा ही प्राप्त नहीं किया गया है, ऐसे आवंटन को बहाल किये जाने का कोई ओचित्य नही है। अतः प्रार्थी का***

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी का भू–आवंटन निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, बेगूं उक्त भूमि को कब्जेराज लेकर बिलानाम दर्ज करें।"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश जणवा उपस्थित तथा रेस्पोडेंट की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 11.10.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि आवंटी के फौत होने की रिपोर्ट प्राप्त होने के लम्बे समय तक नाम कायम नही किये गये और न ही कायम मुकाम हेतु कोई प्रार्थना पत्र ही पेश किया गया तथा अधीनस्त न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 23.08.1999 में यह अंकित किया है तहसीलदार, बेगूं से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है उसी अनुसार नोटिस जारी किये जावें तथा आगामी पेशी दिनांक 21.09.1999 में अंकित किया गया है कि नोटिस तामिल हो चुके है एवं अनुपस्थिति दर्ज कर निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय प्राकृतिक सिद्धांतो के विपरीत है। आवंटी की मृत्यु हो चुकी थी उसके नाम कायम किये जाने थे जो अंदर अवधि में कायम नही किये गये। रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र मात्र इस आधार पर पेश किया गया कि उसको उक्त मामला पटवार हल्का ने ध्यान में लाया गया है। अतः उपरोक्त क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र कयासी आधारों पर निर्णय पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 29.09.1999 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः

उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.09.1999 की अपील दिनांक 03.09.2021 को पेश की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार अपीलाण्ट विपक्षीगण को किसी भी प्रकार के नोटिस तामील होने की कोई सूचना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। हालांकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 21.09.1999 को विपक्षीगण के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने का विवरण है परन्तु सूचना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली जो प्राप्त हुई है, जिसमें कुल किता 12 होना बताया गया है, उसमें इस प्रकार के कोई सूचना–पत्र उपलब्ध नहीं है, तद्नुसार अपीलाण्ट का दफा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलाण्ट द्वारा उठाये गये उजरात के दृष्टिगत हम यह उचित मानते है कि प्रकरण में अपीलाण्ट विपक्षी के पूर्वज को आवंटित भूमि के सन्दर्भ में आवंटी की मृत्यु बाद उसके कायम मुकामान को सुनवाई का अवसर दिया गया, प्रकट नहीं है एवं उन्हें सुने बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके पूर्वज को किये गये आवंटन को निरस्त कर दिया गया है, अतएवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर देकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.12.2021 को उपस्थित हो।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर